अनुसूची 14 – फारम सं0 563

(9)

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

न्यायालय उपायुक्त, राँची

विविध अपील सं0 68 आर० 15/2016–17

60
28.10.2022

बगन महतो, पिता–मटनु महतो,
निवासी ग्राम उषामातू टिकराटोली, थाना– रातू, जिला – राँची
..... अपीलकर्त्ता

बनाम

बंधन साहु (मृत) पिता स्व0 बिगल साहु

निवासी ग्राम मलमाडु, थाना रातू, जिला राँची

द्वारा प्रतिस्थापित उत्तरवादी

1. गणेश महतो
2. दीनानाथ महतो
3. हरिश महतो
4. राम टहल महतो
   सभी पिता स्व० बंधन साहु
5. मंजु देवी
6. तारा मणि देवी
7. राधा देवी
8. दिपक कुमार
   सभी पिता स्व0 पारस साहु
9. छेदन देवी पति स्व0 पारस साहु
10. सविता देवी
11. अरनी देवी
12. शीला देवी
13. कृष्णा कुमारी
14. मीणा कुमारी
15. नीलम कुमारी
16. रीना देवी

सभी निवासी ग्राम मलमाडु, थाना रातु, जिला राँची ..... उत्तरवादी

अनुसूची 14 — फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

. 2

आदेश

प्रस्तुत अपील पुनरीक्षणकर्ता ने विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, राँची द्वारा विविध वाद सं० 08/2011—12/ टी०आर० सं० 43/2013—14 मे पारित आदेश दिनांक 26.09.2016 के खिलाफ दायर किया गया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार ने अपीलकर्त्ता द्वारा मौजा —उषामातू, खाता नं० —223, प्लॉट नं० —282, रकबा 0.74 एकड़ भूमि की जमाबंदी का रद्द करने हेतु दायर आवेदक का अस्वीकृत कर दिया।

उपरोक्त विविध वाद सं० 08/2011—12/ टी०आर० सं० 43/2013—14 की कार्यवाही बगन महतो, पिता—मटनु महतो, निवासी ग्राम उषामातू टिकराटोली, थाना—रातू, जिला— राँची के आवेदन पत्र पर अंचलाधिकारी रातू के द्वारा प्रारम्भ की गई है, जिसमे उन्होने मौजा — उषामातू, खाता नं० —223, प्लॉट नं० —282, रकबा 0.74 एकड़ भूमि का लगान रसीद खतियानी रैयत शिबुआ तेली के नाम से निर्गत करने का अनुरोध किया गया था। अंचलाधिकारी रातु द्वारा उक्त आवेदन पत्र की जाँच संबंधित हल्का कर्मचारी/ अंचल निरीक्षक, रातू से कराकर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची को बंधन साहु, पिता विगल साहु के नाम से पंजी ।। में कायम उपरोक्त भूमि की जमाबन्दी को रद्द करते हुए दखलकार रैयत के नाम से जमाबन्दी कायम करने का आदेश पारित करने के हेतु अभिलेख को अग्रसारित किया गया ।

अंचलाधिकारी रातु द्वारा दायर प्रतिवेदन अनुसार रिवीजनकर्ता बगन महतो, पिता—मटनु महतो, ने प्रश्नगत भूमि का दावा खतियान की छायाप्रति एवं हाल सर्वे का बंडा पर्चा प्रस्तुत कर किया है। विपक्षी बंधन साहु, पिता—बिगल साहु ने लगान रसीदों की छायाप्रति एवं एक सादा हुकुमनामा दिनांक 12.06.1955 की छायाप्रति जो कुंवर राय वो ईश्वरी राय वो मखन राय, पिता—श्री रामदेव राय वगैरह के द्वारा क्रियान्वित किया है के आधार पर प्रश्नगत भूमि का दावा किया है। इस सादा एकरारनामा में खाता सं० एवं प्लॉट नं० काटकर अधिलेखन किया गया

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

(10)

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

है। प्रश्नगत भूमि मौजा – उषामातु, खाता नं० –223 खतियान में शिबुआ तेली वल्द दलुआ तेली के नाम से कायमी अधबटाई दर्ज है। खतियान में केवल एक प्लॉट नं० –282 का उल्लेख है जिसका कुल रकबा 0.74 एकड़ है। पंजी ।। में प्रश्नगत भूमि मौजा –उषामातु खाता नं०–223 की जमाबन्दी पंजी ॥ के भाग ।। पृ० सं० 166 पर बंधन साहु, पिता– बिगला साहु के नाम से दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 1955–56 से 2004–05 तक निर्गत है। पंजी ।। में प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से विपक्षी के नाम से कायम की गई है।

रिवीजनकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, मौजा –उषामातु, खाता नं० – 223, प्लॉट नं० – 282, रकबा 0.74 एकड़ भूमि आर० एस० खतियान मे सिबुआ तेली के नाम से दर्ज है तो रिवीजनकर्ता के पितामह थे। हाल सर्वे के दौरान भी उपरोक्त भूमि सिबुआ तेली के दखल कब्जे मे चला आ रहा था, इसलिए छो०का० अधिनियम की धारा 83 एवं धारा 89 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि का बंडा पर्चा मे भी खतियानी रैयत सिबुआ तेली का नाम से दर्ज हुआ। रिवीजनकर्ता अपने अन्य हिस्सेदारों के साथ उपरोक्त भूमि का विरासत मे प्राप्त कर दखलकार है। उत्तरवादी फर्जी एवं कपटपूर्ण तरीके से तैयार कागजात के आधार पर प्रश्नगत भूमि को हड़पना चाहते है। उन्होने दिनांक 14.12.1982 के गैर न्यायिक स्टॉम्प पर टंकन कर यह साबित करने की कोशिश किया है कि प्रश्नगत भूमि उन्होने 12.09.1955 को कुंवा राय, ईश्वरी राय, माखन राय सभी पिता रामदेव राय से प्राप्त किया है। उक्त फर्जी दस्तावेत मे खाता सं० एवं प्लॉट सं० को काटकर खाता सं0 223 एवं प्लॉट सं0 282 के तौर पर अधिलेखन किया गया है।

उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार उत्तरवादी के नाम से प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी लम्बे अरसे से कायम है, जिसे रद्द नही किया जा सकता।

उभय पक्ष को सुना । अभिलेख के समग्र अवलोकन विदित होता है कि

अनुसूची 14 — फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	4	
	रिवीजनकर्ता ने उत्तरवादी के नाम से मौजा —उषामातू, खाता नं० — 223, प्लॉट नं० — 282, रकबा 0.74 एकड़ भूमि की कायम जमाबंदी को रद्द कर लगान रसीद खतियानी रैयत शिबुआ तेली के नाम से निर्गत करने का अनुरोध किया है। रिवीजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावा से प्रतीत होता है कि उभय पक्षो के मध्य प्रश्नगत भूमि के हक, स्वत्वाधिकार, दखल इत्यादि को लेकर विवाद है, जिसका न्यायिक निर्णय किसी राजस्व न्यायालय द्वारा एक सरांश कार्यवाही (summary proceeding) नही किया जा सकता है। उभय पक्ष यदि चाहे तो प्रश्नगत भूमि पर अपना हक, स्वत्वाधिकार, दखल इत्यादि सक्षम न्यायालय से घोषित करा सकते है। अँचलाधिकारी द्वारा दाखिल प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि मौजा — उषामातु खाता नं० — 223 की जमाबन्दी पंजी II के भाग 2 पृ० सं० 166 पर बंधन साहु, पिता— बिगला साहु के नाम से दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 1955—56 से 2004—05 तक निर्गत है, जिससे यह साफ परिलक्षित होता है कि उत्तरवादी के नाम प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी लम्बी अवधी से कायम है, जिसे राजस्व न्यायालय द्वारा एक सरांश कार्यवाही (summary proceeding) रद्द नही किया जा सकता। उपर्युक्त वर्णित तथ्य के आधार पर यह पुनरीक्षण वाद अस्वीकृत की जाती है तथा विविध वाद सं० 08/2011—12/ टी०आर० सं० 43/2013—14 मे पारित आदेश दिनांक 26.09.2016 को बहाल रखा जाता है। इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे। उपायुक्त राँची लेखापित एवं संशोधित उपायुक्त राँची	Order communicated to L.R.D.C Sadar Ranchi with L.C record no Mis 08/11-12 TR 43/13-14 Bagan Mahto vs Bandhan Sahu for information and n.a vide Memo no 3766(ii) 2.12.22

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.05.11 13:30:29 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:188d:1bbc:988a:358d